वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

दिनांक 02 मार्च 2013 को आयोजित प्रबंध मंडल की 85वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 85वीं बैठक दिनांक 02 मार्च 2013 को अपरान्ह बाद 3.30 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति , वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने की एवं निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:–

1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2.	श्री राजीव स्वरूप प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 प्रदीप साहनी मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0, नई दिल्ली	सदस्य
4.	प्रो0 बी0 के0 शर्मा आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
5.	डा0 आर0 सी0 भीणा निदेशक (क्षे0 के0) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,अजमेर।	सदस्य
6.	कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सचिव
7.	वित्त अधिकारी, वमखुवि, कोटा	विशेष आमंत्रित

Bk

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा सदन को जानकारी देते हुए अवगत करवाया कि प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष प्रो0 विनय कुमार पाठक द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2013 को विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया है। प्रो0 विनय कुमार पाठक एवं प्रबंध मंडल में नवनियुक्त सदस्य प्रो0 प्रदीप साहनी का परिचय करवाये जाने के बाद सदन में समस्त सदस्यों द्वारा अपना परिचय दिया गया।

तदुपरांत माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन के बाह्य सदस्य श्री राजीव स्वरूप (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा) एवं प्रो0 प्रदीप साहनी, (प्रतिनिधी, इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0) का स्वागत किया गया।

बैठक की निर्धारित कार्यसूची पर विचार करने से पूर्व दो प्रस्तुतीकरण (presentation) प्रस्तुत किये गये। इसमें प्रथम प्रस्तुतीकरण प्रशासनिक संरचना एवं विद्यार्थी पंजीयन संख्या से सम्बन्धित था जिसका प्रस्तुतीकरण प्रो. पी. के. शर्मा, निदेशक क्षेत्रीय सेवाऐं प्रभाग द्वारा किया गया। द्वितीय प्रस्तुतीकरण विश्वविद्यालय की वित्तिय स्थिति से सम्बन्धित था जिसका प्रस्तुतीकरण डा0 आर0 के0 जैन , निदेशक, योजना एवं विकास ने प्रस्तुत किया। दोनों प्रस्तुतीकरणों के संदर्भ में प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, श्री राजीव स्वरूप की निम्नलिखित टिप्पणियां रही:–

– विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रयास किये जायें।

– रिक्त पदों के आवंटन में विश्वविद्यालय के विद्यापीठों के अन्तर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या को अवश्य ध्यान में रखा जावें।

– विद्यार्थियों की गिरती हुई पंजीयन संख्या के संदर्भ में गहन चिन्ता व्यक्त की गयीं और कहा गया कि यह विश्वविद्यालय की सामूहिक असफलता है। संकाय सदस्यों को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सके। परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किये जायें एवं विद्यार्थियों को निर्धारित सुविधा प्रदान की जायें।

– प्रबन्ध विषय में विद्यार्थियों की घटती संख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहा गया कि परम्परागत संस्थाओं की अपेक्षा दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा इस कार्यक्रम में संभावना अधिक है क्योंकि विद्यार्थी आजीविका के साथ शिक्षा अर्जित कर कार्यकुशलता में वृद्धि करना चाहता है।

– विगत तीन वर्षोंमें विश्वविद्यालय की घटती आय पर चिन्ता प्रकट की गयी तथा आय में वृद्धि के प्रयास जैसे विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, शुल्क में वृद्धि, खर्चों में कटौती इत्यादि करने चाहिए । वित्तिय स्थिति का सम्पूर्ण आय–व्यय विवरण सहित एक अन्य प्रस्तुतीकरण तैयार कर प्रस्तुत किये जाने का भी मन्तव्य व्यक्त किया।

Bee

– प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार ने मत व्यक्त किया कि भविष्य में जब भी प्रबन्ध मण्डल की बैठक आयोजित की जाये तब बैठक आयोजन की तिथि से 7 दिवस पूर्व बैठक का कार्यसूची विवरण सदस्यों को उपलब्ध करवा दिया जायें।

आवश्यक गणापूर्ति सुनिश्चित होने के बाद माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रबंध मंडल की कार्यवाही विधिवत रूप से प्रारंभ की गई एवं कार्यसूची में वर्णित बिंदुओं पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

85/01 प्रबंध मंडल की 84वीं बैठक दिनांक 17 सितंबर, 2012 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 84वीं बैठक दिनांक 17 सितंबर, 2012 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

85/02 प्रबंध मंडल की 84वीं बैठक दिनांक 17 सितंबर 2012, के निर्णयों के कम में की गई कार्यवाही का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

प्रबंध मंडल की 84वीं बैठक दिनांक 17 सितंबर 2012 के संदर्भ में की गयी कार्यवाही के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

85/03 वित्त समिति की 49वीं बैठक दिनांक 21 फरवरी,2013 का कार्यवाही विवरण तथा बजट अनुमान (वर्ष 2013–14) एवं (संशोधित अनुमान 2012–13) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की 49वीं बैठक दिनांक 21 फरवरी,2013 के कार्यवाही विवरण तथा बजट अनुमान (वर्ष 2013–14) एवं (संशोधित अनुमान 2012–13) का अनुमोदन किया गया ।

85/04 विद्या परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2013 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

Bl

विद्या परिषद की 44 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अंतर्गत एक पद प्रोफेसर, वाणिज्य का विश्वविद्यालय विज्ञापित कर चुका है। प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश प्रदान किये कि वाणिज्य विषय के अंतर्गत वर्तमान में एक शिक्षक कार्यरत है और विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है इसलिए प्रोफेसर, वाणिज्य के पद को राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर Agriculture, Food and Dairy विषय में परिवर्तित करवायें क्योंकि कृषि, खाद्य एवं डेयरी विषय में रोजगार की संभावनाएं अधिक है। एक प्रोफेसर का पद Agriculture, Food and Dairy विषय में परिवर्तित करने का निर्णय लेने के उपरांत विद्या परिषद की 44 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

85/05 महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के निर्देशानुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के स्टेच्युट्स 1(3) में परिवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के निर्देशानुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के स्टेच्युट्स 1(3) में परिवर्तन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

85/06 श्री राकेश शर्मा, सहायक आचार्य, कम्प्युटर साइन्स, निलम्बित के विरूद्ध चालान की अनुमति दिये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

श्री राकेश शर्मा, (निलम्बित सहायक आचार्य) कम्प्युटर साइन्स, के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को चालान प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

85/07 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा विश्वविद्यालय में ई.पी.बी.एक्स. स्थापित किये जाने के कम में दर्ज किये गये प्रकरण अपराध संख्या 273/99 के संदर्भ में चालान की अनुमति चाहे जाने का विवरण अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा विश्वविद्यालय में ई.पी.बी.एक्स. प्रकरण संबंधी दर्ज अपराध संख्या 273/99 में चालान प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत प्रबन्ध मण्डल ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए विधिक राय लेकर चालान प्रस्तुत करने/विभागीय कार्यवाही करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

Bu

85/08 दूरस्थ शिक्षा परिषद से अनुदान प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली अंडरटेकिंग अनुमोदनार्थ।

दूरस्थ शिक्षा परिषद से अनुदान प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली अंडरटेकिंग का अनुमोदन किया गया।

85/09 कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ।

कनिष्ठ लिपिक के पद पर श्री अंकुर शर्मा S/0 स्व0 श्री योगेन्द्र शर्मा की अनुकम्पा नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के नियमानुसार इन्हें अविलम्ब नियुक्ति प्रदान कर दी जाये।

85/10 सी0ए0एस0 स्कीम के तहत सहायक आचार्यो को स्टेज-I से स्टेज -II का लाभ दिए जाने हेतु दिनांक 05.10.12 को आयोजित चयन समिति की बैठक की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

सी0ए0एस0 स्कीम के तहत सहायक आचार्यो को स्टेज-I से स्टेज -II का लाभ डॉ0 क्षमता चौधरी, (अंग्रेजी) एवं डॉ0 मीता शर्मा (हिन्दी) को दिये जाने हेतु आयोजित चयन समिति की बैठक की अनुशंषाओं का अनुमोदन किया गया तथा साथ ही प्रबन्ध मण्डल ने इन्हें इनकी पात्रता की तिथि से परिलाभ प्रदान करने के निर्देश प्रदान किये।

85/11 निदेशक (संकाय) को विद्या परिषद में सदस्य सचिव बनाये जाने सम्बन्धी अधिनियम में वर्णित स्टेच्युट्स 8(1)J में परिर्वतन का प्रस्ताव।

निदेशक (संकाय) को विद्या परिषद में सदस्य सचिव बनाये जाने संबंधी अधिनियम में वर्णित स्टेच्युट्स 8(1)J में परिर्वतन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रस्ताव बनाकर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

85 / 12 वित्त अधिकारी के कार्य सम्बन्धी स्टेच्युट्स 5(6)C में परिवर्तन का प्रस्ताव।

वित्त अधिकारी के कार्य सम्बन्धी स्टेच्युट्स 5(6)C में परिवर्तन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, प्रबन्ध मण्डल ने यह मत व्यक्त किया कि यह एक प्रशासनिक व्यवस्था है, इससे स्टेच्युट्स के उक्त क्लॉज पर कोई प्रतिगामी प्रभाव नहीं पड़ता है।

85 / 13 कुलसचिव के कार्य सम्बन्धी स्टेच्युट्स 4(8)F में परिवर्तन का प्रस्ताव।

कुलसचिव के कार्य सम्बन्धी स्टेच्युट्स 4(8)F में परिवर्तन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और साथ ही प्रबन्ध मण्डल ने यह अभिमत व्यक्त किया कि यह शक्तियों का प्रत्यायोजन है। कुलसचिव एवं कुलपति महोदय से सक्षम स्वीकृति उपरांत उपकुलसचिव, विधि कार्यालयी कार्य सम्पादित करेंगे।

85 / 14 अशैक्षणिक संवर्ग के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यताओं में संशोधन सूचनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अशैक्षणिक संवर्ग के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यताओं में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

85 / 15 माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए निम्नलिखित आदेश सूचनार्थ प्रस्तुत हैः–

1. श्री संजय कूलवाल को वित्त समिति में प्रबंध मंडल के नॉमिनी के रूप में सदस्य बनाए जाने बाबत् आदेश कमांक 893 दिनांक 22.11.2012 सूचनार्थ।

2. श्री योगेश शर्मा एवं डा0 आर0 के0 जैन को सहायक आचार्य से सह आचार्य बनाए जाने के आदेश सूचनार्थ।

3. राज्य सरकार के ओदश के कम में सांख्यिकी सहायक का पदनाम परिवर्तित कर सांख्यिकी अधिकारी किए जाने सम्बन्धी आदेश कमांक 4643 दिनांक 30.08.12

4. विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों के पुर्नगठन एवं नवीन ईकाईयों गठन एवं इनमें निदेशक/उपनिदेशकों के पद सृजन सम्बन्धी निम्नलिखित आदेश अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ ।

कम संख्या	आदेश कमांक एवं दिनांक		संदर्भ
01	398	07.02.13	निदेशक क्षेत्रीय सेवायें के पद का कार्यभार प्रो0 पी0 के0 शर्मा को दिए जाने एवं क्षेत्रीय केन्द्रों के अतिरिक्त कंप्युटर सपोर्ट सिस्टम एवं छात्र सहायता प्रकोष्ठ का कार्य क्षेत्रीय सेवा प्रभाग में दिए जाने बाबत्।
02	4590	11.02.13	विश्वविद्यालय अधिनिय के स्टेच्युट्स 20 के अनुसार विद्यापीठ व्यवस्था को बहाल करते हुए चार विद्यापीठ का गठन एवं इनमें उपनिदेशकों के पदों का सृजन इनके अतिरिक्त निदेशक एवं उप निदेशक (संकाय), निदेशक एवं उपनिदेशक (फैकल्टी एफेयर्स), निदेशक एवं उप निदेशक (रिसर्च एवं डवलपमेंट) की व्यवस्था बाबत् आदेश।
03	4545	11.02.13	निदेशक (ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट) ईकाई का गठन एवं पूर्व में कार्यरत ईकाई स्ट्राईड एवं सीका को नवीन ईकाई के अधीन किए जाने बाबत् आदेश।
04.	4665	12.02.13	विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की विभिन्न ईकाईयों में उपनिदेशकों के पद पर नियुक्ति बाबत् आदेश।
05	4737	14.02.13	सी0आर0डी0आई0 को निदेशक (ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट) ईकाई के अधीन किए जाने बाबत् ओदश।
06	4809	18.02.13	कुलसचिव कार्यालय के संगठनात्मक ढांचे में परिर्वतन करते हुए विधि, सूचना का अधिकारी एवं मीटिंग प्रको0, केन्द्रीय भंडार एवं कय प्रकोष्ठ एवं संपदा प्रकोष्ठ आदि का नवीन प्रकोष्ठों का गठन। कुलपति सचिवालय में मीडिया प्रकोष्ठ एवं सूचना तकनीकी प्रकोष्ठ का गठन ।
07	4893—10	01.3.13	डॉ कमलेश शर्मा, सह आचार्य, इतिहास को सांस्कृतिक एवं खेल इकाई में निदेशक पद पर नियुक्ति बाबत आदेश
08	4671—85	12.2.13	डॉ0 अशोक शर्मा, सह—आचार्य, राजनीति विज्ञान को कुलपति सचिवालय में निदेशक, समन्वय पद पर नियुक्ति बाब्त आदेश

Ble

5. विश्वविद्यालय में कार्यरत उप कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों को ए0सी0पी0 का लाभ दिए जाने बाबत्. आदेश कमांक 4544 दिनांक 11.02.13 सूचनार्थ।

6. प्रो0 बी0 के0 शर्मा को पात्रता तिथी से पदौन्नति दिए जाने सम्बन्धी आदेश कमांक 4892 दिनांक 25.02.13 सूचनार्थ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री संजय कूलवाल को वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल के नॉमिनी के जारी किए गए आदेश पर प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार ने कठोर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि श्री संजय कूलवाल के संदर्भ में प्रबन्ध मण्डल की शक्तियों का दुरूपयोग किया गया है। प्रबन्ध मण्डल का नॉमिनी तय करना कोई आपातकालीन कार्य नहीं है। इसे प्रबन्ध मण्डल से ही नामित करवाया जाना चाहिए और इसमें कुलपति को धारा 8(4) की शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री संजय कूलवाल के वित्त समिति में नामित करने के आदेश को प्रबन्ध मण्डल ने अस्वीकार कर दिया।

प्रबन्ध मण्डल ने श्री संजय कूलवाल को वित्त समिति में नामित करने के आदेश को अस्वीकृत कर श्री अरविन्द गोयल, चार्टड एकाउन्टेंट, 15–A, वल्लभनगर, कोटा को वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल का नॉमिनी बनाया।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी कार्यालय–आदेश जो माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) में जारी किये थे सभी का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया और कहा कि कुलपति महोदय आपातकालीन अवस्था में ही धारा 8(4) की शक्तियों का प्रयोग करें।

टेबल एजेण्डा

85/16(1) परामर्शदाताओं की नियुक्ति ,संविदा आधार पर किए जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंषाऐं अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ ।

परामर्शदाताओं की नियुक्ति, संविदा आधार पर किए जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन किया गया ।

85/16 (2) कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोफेसर पद पर पात्रता दिवस से पदौन्नति का लाभ दिए जाने बाबत् जारी आदेश कमांक 4892 दिनांक 25.02.13 सूचनार्थ।

केरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोफेसर बी0 के0 शर्मा को प्रोफेसर पद पर पात्रता तिथि से पदोन्नति का लाभ दिये जाने के लिए जारी आदेश कमांक 4892 दिनांक 25.02.13 का अनुमोदन किया गया। और साथ ही निर्देश प्रदान किये कि विश्वविद्यालय भविष्य में इस तरह के प्रकरणों में UGC में नियमों के अंतर्गत राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति पात्रता की तिथि से लाभ प्रदान कर पात्रता की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि कार्यालय आदेश में ही अंकित करें।

85/16(3) डा0 आर0 वी0 व्यास सेवानिवृत्त (निदेशक क्षे0 सेवा) की पूर्व विश्वविद्यालय में की गई सेवाऐं इस विश्वविद्यालय में जोड़े जाने का प्रकरण अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

डा0 आर0 वी0 व्यास सेवानिवृत्त (निदेशक क्षे0 सेवा) की पूर्व विश्वविद्यालय में की गई सेवाऐं इस विश्वविद्यालय में जोड़े जाने के प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत एक प्रस्ताव पास कर निर्णय लिया कि डॉ0 व्यास के प्रकरण को राज्य सरकार को भेजा जाये। इस निर्णय में प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार सम्मिलित नहीं हुए, वे इस निर्णय से बाहर रहें।

85/16(4) कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में वर्णित फीडर कैडर के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में परिवर्तन करते हुए जारी किये गये आदेश सूचनार्थ।

कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में वर्णित फीडर कैडर के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में परिवर्तन करते हुए जारी किये गये नवीन आदेश का अनुमोदन किया गया।

BQ

85/16(5) चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के नियमितिकरण से पूर्व स्थिर वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में की गई सेवाओं का वेतनमान एवं परिलाभ स्वीकृत करने का प्रकरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के नियमितिकरण से पूर्व स्थिर वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में की गई सेवाओं का वेतनमान एवं परिलाभ स्वीकृत करने के प्रकरण पर गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को राज्य सरकार के पास सहानुभूतिपूर्वक निर्णयार्थ भेज दिया जाये।

85/16(6) अनुपस्थित स्टेनोग्राफर श्रीमती नीलम सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव निर्णयार्थ।

अनुपस्थित स्टेनोग्राफर श्रीमती नीलम सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के प्रकरण पर विचार विमर्श किया। चूंकि श्रीमती नीलम सिंह मानसिक असन्तुलनकी स्थिति में है इसलिए वह विश्वविद्यालय में अपना कार्यालयी कार्य करने में सक्षम नहीं है और कार्यालय में उपस्थित भी नहीं हो पाती है। परिवारजन भी नीलम सिंह की देखभाल नहीं करते है और वह कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही है इसलिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विश्वविद्यालय इसे वृद्धाश्रम में भेज दिये जाने की व्यवस्था करें। तदुपरांत प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि श्रीमतीनीलम सिंह को अनिवार्य सेवा निवृत्ति प्रदान कर पेंशन स्वीकृत कर दी जाये।

85/16(7) विश्वविद्यालय की 2010–11 एवं 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट अवलोकनार्थ।

विश्वविद्यालय की 2010–11 एवं 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

85/16(8) विश्वविद्यालय शिक्षकों को यू0जी0सी नियमों के अंतर्गत Non-Vacational घोषित करने एवं अंकेक्षण दल के आक्षेप के निस्तारण हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को यू0 जी0 सी0 अवकाश नियमों के अंतर्गत Non-Vacational घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा अवकाश सम्बन्धी अंकेक्षण आक्षेप के निस्तारण हेतु निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में समुचित जवाब बनाकर उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया जाये ताकि इस पर कार्यवाही कर इस अंकेक्षण आक्षेप का निस्तारण करवाया जा सके।

85/16(9) विश्रवविद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाने वाली पाठ्य-सामग्री ऑनलाइन करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाने वाली पाठ्य-सामग्री ऑनलाइन करने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं प्रबन्ध तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को टेबलेट पी0 सी0 के माध्यम से अध्ययन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन तो कर दिया गया लेकिन इसे अनिवार्य बनाने के स्थान पर ऐच्छिक रखा गया अर्थात् जो विद्यार्थी टेबलेट पी0 सी0 के माध्यम से अध्ययन करें उन्हें टेबलेट पी0 सी0 विश्वविद्यालय उपलब्ध करवाये और जो विद्यार्थी पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करना चाहें उन्हें विश्वविद्यालय पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाये।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल देते हुए OER Draft Policy को अपनाने का आग्रह किया।

85/16(10) आर0के0सी0एल के निदेशक मण्डल में माननीय कुलपति महोदय के निदेशक बनने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

आर0के0सी0एल0 के निदेशक मण्डल में माननीय कुलपति महोदय के निदेशक बनने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया साथ ही आर0के0सी0एल0 से हुए MOU पर पुर्नविचार हेतु निर्देशित किया।

Bb

85/16(11) विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अधिकारियों को पुनः नियुक्ति पर रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अधिकारियों को पुनः नियुक्ति पर रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि वेतन में से पेंशन की राशि की कटौती कर संविदा आधार पर केवल योग्य अभ्यर्थियों को ही पुनः नियुक्ति पर रखा जाये साथ ही विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों पर भी उक्त प्रावधानों के अंतर्गत संविदा आधार पर नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।

85/16(12) शोध कार्य में हुई अनियमितता में सम्बन्धित छात्रों को उपाधि जारी किये जाने संबंधी निर्णय

शोध कार्य में हुई अनियमितता में सम्बन्धित छात्रों को उपाधि जारी किये जाने संदर्भ में प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि तीन प्रोफेसरों जिनमें कम से कम एक राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय से हों, की एक समिति बनाकर इनके शोध प्रबन्धों की जॉच करवा ली जाये। इस हेतु प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

85/16(13) छठे वेतनमान में निदेशकों का वेतनमान पुनरीक्षित करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

छठे वेतनमान में निदेशकों का वेतनमान पुनरीक्षित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

85/16(14) विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों में स्टेंडिंग कौंसिल नियुक्त करने एवं अधिवक्ताओं को मानदेय संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों में स्टेंडिंग कौंसिल नियुक्त करने एवं अधिवक्ताओं को मानदेय संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

85/16(15) विश्वविद्यालय द्वारा कम्युनिटी कॉलेज प्रारम्भ करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा कम्युनिटी कॉलेज प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की और प्रो0 प्रदीप साहनी के संयोजकत्व में एक समिति बनाये जाने का निर्णय लिया जो कम्युनिटी कॉलेज प्रारम्भ करने के मापदण्ड निर्धारण का कार्य करेगी।

85/16(16) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरांत निर्णय किया कि 2010 के उपरांत जितने भी पद रिक्त हुए हैं उन पर राज्य सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है इसलिए इन पर बिना राज्य सरकार की अनुमति के विश्वविद्यालय भर्ती कर सकता है लेकिन 2010 के पूर्व के रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार की अनुमति के अभाव में 2010 के पूर्व के पदों पर भर्ती नहीं की जा सकती है।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

BB Sharma

कुलसचिव
एवं सचिव(प्रबंध मंडल)

14